Chhattisgarh Environment Conservation Board
Paryavas Bhavan, North Block, Sector-19
Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur (C.G.) 492002
Email address-hocecb@gmail.com

6315

No. /H.O/CECB/2020 Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur, Date: 19/10/2020

To,

M/s Ultra Tech Cement Limited
(Unit Rawan Cement Works)
P.O.-Grasim Vihar,
Village-Rawan, Tehsil-Simga,
District-Balodabazar-Bhatapara (C.G.)

Sub: - Direction under section 5 of Environment (Protection) Act, 1986. Notice thereof.

Ref: - 1. Inspection of your industry on dated 09/10/2020 by officials of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

2. NGT order dated 12.04.2019 in O.A No. 804/2017.

Whereas, the Central Government has notified the Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (herein referred to as HOWM Rules, 2016) in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) act, 1986 and in supersession of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 (herein referred to as HWM Rules, 2008) for safe and environmentally sound management of hazardous and other wastes; and

Whereas, as per Rule 4 (1) of the HOWM Rules, for management of hazardous and other wastes, an occupier shall follow the following steps namely (i) prevention; (ii) minimization ; (iii) reuse, recycling, recovery, utilization including co-processing, safe disposal; and

Whereas, as per Rule 4 (2) of the HOWM Rules, the occupier shall be responsible for safe and environmentally management of hazardous and other wastes; and

Whereas, as per Rule 6(1) of the HOWM Rules, the occupier engaged in handling, generation, collection, storage, packaging, transportation, use, treatment, processing, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilization, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other wastes shall obtain authorization from the State Pollution Control Board Pollution Control Committee (SPCB/PCC); and

O/c

Whereas, as per Rule 23 of the HOWM Rules, 2016, lays down provisions with regard to liability for damages caused to the environment or third party including financial penalty for violation of provisions of the Rules; and

Whereas, officials from CECB inspected the unit on 09.10.2020 and following shortcomings were observed by inspecting team:-

1. Industry was found operational without having valid authorization/renewal of authorization as per provisions of HOWM Rules, 2016.
2. Display board for hazardous wastes has not been installed at the main gate of the plant premises. .

Whereas, the above observations reveal that the industry is not complying with the provisions of HOWM Rules, 2016.

Whereas, Central Pollution Control Board has prepared "Determination of Environmental Compensation to be recovered for violation of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" in compliance to the Hon'ble NGT order in the matter of O.A. No. 804/2017 dated 12.04.2019.

Whereas, the violation done by the industry falls under Category-A under section-4 of the above mentioned guidelines prepared by CPCB. The compensation is calculated as Rs. 2,00,000/- (Two Lacs only) based on the formula for imposing financial penalty and environmental compensation as per the above guidelines.

Now therefore, in exercise of powers under rule 23 of the HOWM Rules, 2016 the unit is here by directed to show cause why a sum of Rs. 2,00,000/- (Two Lacs only) should not be imposed towards environmental compensation for not complying with the provisions HOWM Rules, 2016.

The reply of the show cause notice shall be submitted to CECB within 15 days from the issue of this notice, failing which CECB will be constrained to initiate action against the unit without giving any further notice in accordance with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur (C.G.)

Endt. No. 6316 /H.O/CECB/2020 Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur, Date: 19/10/2020

Copy to:-

1. The Member Secretary, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, Arjun Nagar, East, Delhi for information and approval as CECB is proposing to impose a sum of Rs. 2,00,000/- (Two Lacs only) as environmental compensation on M/s Ultratech Cement Limited (Unit Rawan Cement Works), P.O.-Grasim Vihar, Village- Rawan, Teh- Simga, Distt-Balodabazar-Bhatapara (C.G.) for violation of the provisions of HOWM Rules, 2016
2. The Collector, District- Balodabazar-Bhatapara (C.G.) for information please.

3. Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, ~~Bilaspur~~ Raipur for information and necessary action please.
4. Occupier, M/s Ultratech Cement Limited (Unit Rawan Cement Works), P.O.- Grasim Vihar, Village- Rawan, Teh- Simga, Distt-Balodabazar-Bhatapara (C.G.) for information and compliance.

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur (C.G.)

निरीक्षण प्रतिवेदन

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट रावन सीमेंट वर्क्स, ग्राम–रावन, पोस्ट–ग्रासिम विहार, तहसील– सिमगा, जिला – बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) का निरीक्षण दिनांक 09/10/2020 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं एवं वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग की ओर से श्री प्रेम सागर, महाप्रबंधक एवं श्री रमाशंकर शुक्ला, प्रबंधक पर्यावरण उपस्थित थे।

यह एक स्थापित एवं संचालित सीमेंट प्लांट है। उद्योग को सीमेंट – 3.3 मिलियन टन/वर्ष, कोल वॉशरी फॉर क्लिन कोल – 0.85 मिलियन टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई है, जिसकी वैद्यता दिनांक 31/08/2021 तक है। साथ ही क्लिंकर प्रोडक्शन – 6.5 मिलियन टन/वर्ष, केप्टिव थर्मल पॉवर प्लांट – 80 मेगावाट, वेस्ट हीट रिकव्हरी बेस्ड पावर प्लांट – 16 मेगावाट हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई है, जिसकी वैद्यता दिनांक 28/02/2021 तक है।

निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार तथ्य पाये गये :–

1. दोनों क्लिंकर किल्न, पावर प्लांट, सीमेंट मिल आदि उत्पादनरत पाये गये। कोल वॉशरी उत्पादनरत नहीं पाया गया। उद्योग प्रबंधन का कथन था कि उक्त कोल वॉशरी कई वर्ष से उत्पादनरत नहीं है।
2. दोनों किल्न, पावर प्लांट, सीमेंट मिल आदि तथा विभिन्न मटेरियल ट्रांसफर प्वाईंट्स पर स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण संचालित पाया गया।
3. लाईम स्टोन माईन से प्लांट के लाईम स्टोन भण्डारण क्षेत्र तक लाईम स्टोन लाने हेतु कन्व्हेयर बेल्ट की स्थापना की गई है। प्लांट के बाहर कई स्थानों पर काफी लंबाई में कन्व्हेयर बेल्ट ढंका हुआ नहीं पाया गया। साथ ही यह कन्व्हेयर बेल्ट मुख्य मार्ग के पास स्थापित है, वहां ध्वनि प्रदूषण पाया गया।
4. प्लांट के मेन गेट में परिसंकटमय अपशिष्टों की जानकारी बाबत् डिस्प्ले /साईन बोर्ड नहीं पाया गया। साथ ही प्लांट के अंदर परिसंकटमय अपशिष्टों के भण्डारण शेड के इन्ट्रेन्स में डिस्प्ले /साईन बोर्ड पर अद्यतन जानकारी का लेख करना नहीं पाया गया एवं यह डिस्प्ले /साईन बोर्ड एक अन्य बोर्ड के पीछे लगाया गया है, जिससे यह आसानी से अवलोकित नहीं होता है। इस शेड में एक ड्रम (150 लीटर) युज्ड आयल, एक ड्रम युज्ड ग्रीस एवं कुछ संख्या में युज्ड बेटरी का भण्डारण पाया गया। उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि विगत माह युज्ड आयल एवं ग्रीस का विक्रय किया गया है। उद्योग को परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु जारी प्राधिकार की वैधता दिनांक 13/11/2019 को समाप्त हो गई है तथा बिना प्राधिकार नवीनीकरण के परिसंकटमय अपशिष्टों का हथालन, एकत्रिकरण, भण्डारण एवं विक्रय करना पाया गया।
5. तीन नग कन्टीन्युअस एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग स्टेशन्स स्थापित हैं। इनके परिणामों के डिस्प्ले हेतु प्लांट के मेन गेट में डिस्प्ले बोर्ड लगया गया है। यह डिस्प्ले बोर्ड बंद होना पाया गया। उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि यह डिस्प्ले बोर्ड विगत कुछ दिनों से बंद है तथा सुधार हेतु कार्यवाही की जा रही है।

6. दो नग कोल स्टोरेज भण्डारण शेड स्थापित है। कोल भण्डारण शेड में काफी मात्रा में कोल एवं पेट कोक का भण्डारण पाया गया। कोल स्टोरेज शेड क्रमांक–1 के बाहर लगे हुये खुले क्षेत्र में काफी मात्रा में पेट कोक का भण्डारण पाया गया। कोल स्टोरेज शेड क्रमांक–1 में भण्डारित कोल के कुछ भाग में आग लगना पाया गया तथा लगातार धुंऐ का उत्सर्जन पाया गया। इन शेड में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव व्यवस्था नहीं पाया गया। शेड के भीतर / आसपास वाहनों के आवागमन मार्ग में फाईन डस्ट की 04 से 06 इंच मोटी परत पाई गई। शेड के इन्ट्रेन्स गेट का मार्ग कच्चा पाया गया। फलस्वरूप लोडिंग, परिवहन आदि के दौरान काफी मात्रा में फ्युजिटिव डस्ट का उत्सर्जन पाया गया।

7. स्लेग स्टोरेज यार्ड तथा जिप्सम / केमिकल जिप्सम स्लज स्टोरेज यार्ड में काफी मात्रा में उपरोक्त कच्चे पदार्थों का खुले में भण्डारण करना पाया गया। इस स्टोरेज यार्ड के भीतर वाहनों के आवागमन हेतु निर्मित सड़क एवं पहुंच मार्ग कच्चा पाया गया। इस स्टोरेज यार्ड में फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था (जल छिड़काव / डस्ट सप्रेशन व्यवस्था) नहीं पाई गई। फलस्वरूप लोडिंग / अनलोडिंग, परिवहन आदि के दौरान काफी मात्रा में फ्युजिटिव डस्ट का उत्सर्जन पाया गया। लाईन –1 हेतु लाईम स्टोन का भण्डारण खुले में किया जाता है। स्टेकर रिक्लेमर डिस्चार्ज पाईंट एवं कन्व्हेयर बेल्ट में जल छिड़काव / डस्ट सप्रेशन व्यवस्था नहीं पाई गई। फलस्वरूप इस क्षेत्र में फ्युजिटिव डस्ट का उत्सर्जन पाया गया। लाईन –2 हेतु लाईम स्टोन का भण्डारण शेड के अंदर किया जाता है। शेड के अंदर लाईम स्टोन एवं आयरन ओर का भण्डारण पाया गया। स्टेकर रिक्लेमर डिस्चार्ज पाईंट एवं शेड में मटेरियल हेण्डलिंग के दौरान उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव / डस्ट सप्रेशन व्यवस्था नहीं पाई गई। इस शेड के बाहर खुले में काफी मात्रा में आयरन ओर का भण्डारण पाया गया। वर्षा जल के साथ उपरोक्त भण्डारित आयरन ओर मिक्स होकर आसपास के नाले में बहने की संभावना है। वर्षा जल शेड के भीतर आने की रोकथाम हेतु कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था करना नहीं पाया गया।

8. विभिन्न कच्चे पदार्थों के यार्ड से फीडिंग पाईंट तक परिवहन हेतु परिसर के भीतर अधिकांश मार्ग कच्चे पाये गये एवं कुछ मार्ग पक्के पाये गये। इन मार्गों में तथा अन्य आंतरिक मार्गों में काफी मात्रा में डस्ट का जमाव पाया गया। मार्गों की साफ–सफाई करना नहीं पाया गया। फलस्वरूप परिवहन के दौरान काफी मात्रा में फ्युजिटिव डस्ट का उत्सर्जन पाया गया। साथ ही परिवहन के दौरान सड़कों पर उक्त पदार्थों का स्पिलेज होना भी पाया गया।

9. प्लास्टिक वेस्ट – 480 मीट्रिक टन / दिन का उपयोग किल्न में करने हेतु अनुमति दी गई है। प्लास्टिक वेस्ट की काफी मात्रा का भण्डारण खुले में अव्यवस्थित रूप से करना पाया गया। वर्षा जल के साथ उपरोक्त प्लास्टिक वेस्ट के मिक्स होकर आसपास के नाले में बहने की संभावना है। भण्डारण शेड के भीतर का कुछ भाग कांक्रीट से पक्का पाया गया तथा अधिकांश भाग कच्चा पाया गया। वर्षा का जल शेड के भीतर आकर भण्डारित पदार्थों से मिक्स होकर आसपास के नाले में बहने की संभावना है। वर्षा जल शेड के भीतर आने की रोकथाम हेतु कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था करना नहीं पाया गया। उद्योग के वर्ष 2019–20 में मात्र 4267 टन प्लास्टिक वेस्ट तथा वर्ष 2020–21 में माह सितंबर तक मात्र 786.42 टन प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया जाना बताया गया। उक्त से प्रतीत होता है कि उद्योग को प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल में कोई रूचि नहीं है।

10. सीमेंट मिल तथा फ्लाई एश सायलो के कन्व्हेईंग सिस्टम / ट्रांसफर पाईंट्स से काफी मात्रा में डस्ट उत्सर्जन पाया गया। इस स्थल पर स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सक्षम रूप से कार्यरत नहीं पाई गई। सीमेंट लोडिंग सेक्शन में जमीन कच्ची पाई गई। इस स्थल पर डस्ट सप्रेशन / एक्सट्रेक्शन हेतु कोई वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करना नहीं पाया गया। सीमेंट बोरियों के ट्रकों में लोडिंग के दौरान फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन पाया गया। सीमेंट मिल क्षेत्र एवं लोडिंग सेक्शन क्षेत्र में काफी मात्रा में डस्ट का जमाव भूमि पर पाया गया। हवा बहने के दौरान फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।

11. क्लिंकर सॉयलो, ब्लेडिंग सायलो एरिया में जमीन कच्ची पाई गई। लीकेज के कारण इस क्षेत्र में काफी मात्रा में डस्ट का जमाव भूमि पर पाया गया। क्लिंकर सॉयलो में स्थापित किये गये बेग फिल्टर सक्षम ढंग से कार्यरत करना नहीं पाया गया, फलस्वरूप वेंट से डस्ट का काफी मात्रा में उत्सर्जन पाया गया।

12. सीमेंट बोरियाँ लोडिंग ट्रकों के पीयुसी सर्टिफिकेट की जांच करने पर दो वाहन क्रमांक सीजी04 एमयु 7907 एवं वाहन क्रमांक सीजी04 एमयु 7892 में उपरोक्त वैध सर्टिफिकेट के बिना लोडिंग करना पाया गया, जो कि उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

13. कई स्थानों (क्लिंकर डिस्चार्ज / कूलर एरिया, सीमेंट मिल में क्लिंकर ट्रांसपोर्टेशन कन्व्हेईंग सिस्टम / विभिन्न ट्रांसफर पाईंट्स एवं प्लांट में अन्य मटेरियल्स के कन्व्हेईंग सिस्टम एवं विभिन्न ट्रांसफर पाईंट्स) पर स्थापित बेग फिल्टर्स से आउटलेट पर संलग्न चिमनी / वेंट की ऊंचाई 30 मीटर नहीं पाई गई। सभी बेग फिल्टर्स से संलग्न चिमनी / वेंट की ऊंचाई कम से कम 30 मीटर किया जाना आवश्यक है।

14. उद्योग को पेट कोक का उपयोग किल्न में फीड स्टॉक के रूप करने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 10/09/2018 के अनुसार इम्पोर्टेड पेट कोक का उपयोग सीमेंट किल्न में फीड स्टॉक के रूप किया जाना है। उद्योग में स्थापित कोल मिल में कोयला तथा पेट कोक की ग्राईंडिंग की जाती है। उद्योग द्वारा इम्पोर्टेड पेट कोक का उपयोग फीड स्टॉक के अतिरिक्त "किल्न फीडिंग एण्ड" के पूर्व केल्साईनर में एवं "किल्न डिस्चार्ज एण्ड" में फायरिंग में उपयोग किया जाना पाया गया। जो कि जारी सम्मति एवं उपरोक्त ओ.एम. के प्रावधानों का उल्लंघन है।

15. पावर प्लांट से उत्पन्न बेड एश का लाईन –1 लाईम स्टोन भण्डारण क्षेत्र के आगे खुली भूमि में काफी मात्रा में अव्यवस्थित रूप से भण्डारण पाया गया। इसकी डिस्पोजल की व्यवस्था उपयुक्त नहीं पाई गई। इसी क्षेत्र में काफी मात्रा में स्लेग का भी भण्डारण खुली भूमि में करना पाया गया। वर्षा का जल भण्डारित पदार्थों से मिक्स होकर आसपास के नाले में बहने की संभावना है। पावर प्लांट के आरओ रिजेक्ट एवं डी–मिनरलाईजेशन प्लांट रेजीन रि–जनरेशन से उत्पन्न दूषित जल के उचार हेतु न्युट्रलाईजेशन पिट की स्थापना की गई है। इस पिट की लाईनिंग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाया गया।

16. उद्योग में कुल नौ कन्टीन्युअस ईमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गई है। लाईन–1 एवं लाईन–2 प्रत्येक किल्न में एक, कोल मिल क्रमांक–1 एक एवं दो में प्रत्येक में एक, कूलर क्रमांक–1 एक एवं दो में प्रत्येक में एक, पावर प्लांट में एक, सीमेंट मिल में एक एवं पॉलीकाम (स्लेग मिल) में एक कन्टीन्युअस ईमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गई है। इनमें से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में पावर

प्लांट की मॉनिटरिंग सिस्टम को जोड़ा नहीं गया है। फलस्वरूप इसके ईमीशन का डेटा बोर्ड में ऑनलाईन प्राप्त नहीं होता है। यह उचित नहीं माना जा सकता है। कंट्रोल रूम में कन्टीन्युअस ईमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम के आंकड़ों तथा इसी समय मंडल मुख्यालय में ऑनलाईन दर्शित हो रहे डेटा का अवलोकन करने पर दोनों भिन्नता पाई गई। कंट्रोल रूम में दर्शित आंकड़े यथा पार्टिकुलेट मेटर, सल्फर डाई आक्साईड एवं नाईट्रोजन आक्साईड की मात्रा मंडल मुख्यालय में ऑनलाईन दर्शित हो रहे डेटा से अधिक पाया गया। इसे उचित नहीं माना जा सकता है। साथ ही नाईट्रोजन आक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 814 मिलिग्राम / सामान्य घनमीटर पाया गया, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।

17. सिक्युरिटी टॉवर (कन्टीन्युअस एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग स्टेशन) के पास सीमेंट कांकीट का बीम / कॉलम युक्त काफी बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करना पाया गया। उपस्थिति उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि यहाँ एक स्टोरेज शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एफ.एम.सी.जी. वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एवं टायर / फुट वेयर वेस्ट आदि का भण्डारण किया जावेगा। इस निर्माणाधीन शेड का कुल विनियोग लगभग रूपये 25 करोड़ (श्रेडर सहित) होना बताया गया है। इस निर्माणाधीन शेड में एक बड़े श्रेडर की स्थापना करना भी पाया गया। इस निर्माणाधीन शेड में खुले में काफी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट का भण्डारण अव्यवस्थित रूप से करना पाया गया। वर्षा जल के साथ प्लास्टिक कचरा आसपास बहना पाया गया। इस एकत्रित प्लास्टिक से तीखी दुर्गंध उत्पन्न हो रहा थी तथा दुर्गंध की रोकथाम हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

    उल्लेखनीय है कि उद्योग द्वारा एफ.एम.सी.जी. वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एवं टायर / फुट वेयर वेस्ट के उपयोग हेतु आवेदित सम्मति में रूपये 38,49,568 का विनियोग बताया गया था, जिसमें भण्डारण शेड निर्माण तथा श्रेडर एवं कटर की स्थापना प्रस्तावित था। तदानुसार सम्मति शुल्क दी गई थी। वर्तमान में एक बड़े श्रेडर (कन्व्हेईंग सिस्टम सहित) की स्थापना की गई है तथा शेड एवं श्रेडर में लगभग रूपये 25 करोड़ विनियोग किया जा रहा है। इस शेड का निर्माण एवं श्रेडर की स्थापना सम्मति प्राप्त किये बगैर की गई है।

18. सीमेंट प्लांट के भीतर कर्मचारियों के घरेलू उपयोग उपरांत उत्पन्न घरेलू दूषित जल एवं केंटीन से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गई। कॉलोनी से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन सम्प, एरियेशन टैंक (एफएबी), ट्युब सेटलर, ड्युअल मिडिया फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं हाईपोक्लोराईट डोजिंग व्यवस्था की गई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन करना पाया गया। डिसइन्फेक्शन हेतु हाईपोक्लोराईट डोजिंग करना नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान जांच करने पर जरिकेन्स में भण्डारित हाईपोक्लोराईट काफी पुराना एवं गंधहीन होने के कारण से प्रभावी नहीं पाया गया। स्लज ड्राईंग बेड कार्यरत नहीं होकर इसमें जल का भराव पाया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन हेतु बनाये गये लॉगबुक का संधारण नहीं करना एवं विद्युत खपत मापन पुष्टि हेतु मीटर रीडिंग लॉगबुक नहीं बनाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कमियों एवं सम्मति / सम्मति नवीनीकरण शर्तों का सक्षम ढंग से पालन नहीं करने के संबंध में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनयम, 1981 की धारा 31क तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनयम, 1974 की

धारा 33क के तहत् कार्यवाही करते हुये उपरोक्त बिन्दुओं पर सुधार कराया जाना आवश्यक है।

परिसंकटमय अपशिष्ट का उचित डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूति रूपये 1,00,000 (रूपये एक लाख) एवं परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु वैध प्राधिकार प्राप्त किये बिना संचालित किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूति रूपये 1,00,000 (रूपये एक लाख) कुल राशि रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख मात्र) अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही सम्मति / सम्मति नवीनीकरण शर्तों का उल्लंघन पाये जाने के कारण नियमानुसार उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूति अधिरोपित करने एवं नियमानुसार कार्यवाही करने बाबत् क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(डॉ. एस.के. उपाध्याय)	**(आर.के. शर्मा)**	**(ए.एस. राठौर)**
क्षेत्रीय अधिकारी	अधीक्षण अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता
क्षेत्रीय कार्यालय	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	नवा रायपुर अटल नगर	नवा रायपुर अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)	जिला – रायपुर (छ.ग.)	जिला – रायपुर (छ.ग.)